न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 458 /2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/711

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पाटोदी		ईदी पुत्री वली खां वगैरा जाति सिन्धी निवासी सांगरानाड़ी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थिति–</u>

1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेशः

दिनांक 24.11.2025

यतः तहसीलदार पाटोदी ने ग्राम सागरानाड़ी पटवार मण्डल पाटोदी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 2630/2342 क्षेत्रफल 19.5301 हैक्टयर भूमि मे से प्रस्तावित रकबा 0.2062 हैक्टयर भूमि वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व (गुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश किए जाते है कि :–

ग्राम सागरानाड़ी पटवार मण्डल पाटोदी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 2630/2342 के संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल में दर्शित रास्ते में काम आ रही भूमि को राजस्व (गुप्र–6)विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1) में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैः–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	बरंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	2630/2342	19.5301	बा.दो.	2630/2342	0.2062	बा.सो.	लाल

तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.11.25 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 24/11/2025
बालोतरा